दिनांक 05.10.2017 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग के सदस्य सचिव एवं सदस्यों के साथ हुई पहली बैठक की कार्यवाही। .

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष
2. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव
3. श्री उपेन्द्र नारायण उरांव, सदस्य
4. श्रीमती वीणा मिश्रा, सदस्य
5. श्री रामकरण रंजन, सदस्य
6. श्री हलधर महतो, सदस्य
7. डॉ श्रीमती रंजना कुमारी, सदस्य

सर्वप्रथम श्री सुनील कुमार सिन्हा जो आयोग कार्यालय में सदस्य सचिव हैं, को आयोग का संस्थापक सदस्य सचिव बताते हुए उनसे अनुरोध किया गया कि वे आवश्यकतानुसार आयोग कार्यालय में आयें और आयोग के कार्यों का निपटारा करें।

2. बैठक में सदस्य सचिव को 50,000 रू० तक की वित्तीय शक्ति प्रत्योजित करने की स्वीकृति दी गयी।
3. भविष्य में सभी संचिका खाद्य आयोग कार्यालय से आरंभ कर निदेशालय को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
4. आयोग की सभी संचिकाओं को निदेशालय से प्राप्त कर लिया जाय।
5. राज्य खाद्य आयोग कार्यालय में सेवा निवृत कर्मियों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया गया।
6. विभाग से सेवा निवृत बी.एस.ओ को संविदा पर रखने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है उन्हीं कर्मियों को नियुक्ति के पश्चात् उन्हें विभाग से प्रतिनियुक्ति पर देने का अनुरोध किया जाय।
7. उपायुक्त / उप विकास आयुक्त राँची को इसके लिए अनुरोध किया जाय।
8. एक सप्ताह में निदेशक लेखा–जोखा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। श्री अनुज तिवारी, सहायक के सहयोग से यह प्रतिवेदन श्री जियाउल रहमान तैयार करें।
9. स्थायी अग्रिम लेने हेतु महालेखाकार से अनुमति लेने पर भी विचार किया गया।

10. विभागीय सचिव द्वारा संचिका संख्या – रा०खा०आ० – 01 (विविध) – 14/17 में सदस्यों को लैंपटॉप/मोबाइल आदि खरीदने के प्रस्ताव पर आयोग को स्वविवेकता प्रदान किया गया है। इसेक आलेक में भविष्य में आयोग की संचिका विभागीय सचिव को नहीं भेजी जायेगी।

11. राज्य खाद्य आयोग को अपना बेवसाईट बनाने का निर्णय लिया गया।

12. राजस्व विभाग के एकरारनामा के आधार पर सदस्यों को किराया पर वाहन लेने का निर्णय लिया गया। इस एकरारनामा को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।

13. पी.जी.एम.एस के पैटर्न पर दो PRO रखने का भी निर्णय लिया गया। तत्संबंधी आदेश श्री रीतेश गुप्ता पी.जी.एम.एस को निर्गत किया जाय।

14. पी.जी.एम.एस एवं आहार के लिए पासवर्ड एवं लागिंग आई.डी. आयोग को निर्गत करने हेतु निदेशक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

15. GEM में लागिंन रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्णय लिया गया।

16. भविष्य में जो भी फर्नीचर तथा अन्य सामग्री खरीदे जायेंगे, वे GEM के माध्यम से खरीदे जायेंगे।

17. प्रचार – प्रसार का कार्य IPRD विभाग से निर्धारित दर पर किया जाय।

18. आयोग कार्यालय में अतिरिक्त फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया।

19. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कार्यालय का साईन बोर्ड/पर्दा/नेम प्लेट/फ्लोर मैट आदि लगाने का भी निर्णय लिया गया।

20. पूर्व के विपत्रों के भुगतान में हो रहे विलम्ब के बिन्दु पर चिन्ता व्यक्त की गयी। उसमें सुधार लाने की कार्रवाई की जाय।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

ज्ञापांक रा०खा०आ० (बैठक) 23/17 – 49/ रांची, दिनांक 31.10.2017

प्रतिलिपिः– बैठक में उपस्थित सदस्य सचिव एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।